crim-I

2015/00315

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत उपजिला कलेक्टर मुकाम दीगोद

कौशल्या बाई भाता ब्रजमोहन बनाम बृजमोहन वगैरह

न मुकदमा 212 RTM नं. 80 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र प्रार्थी कौशल्या बाई की ओर से अभिभाषक श्री कौशल किशोर वैष्णव द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षी0 को जरिये नोटिस तलब किया जावे वकील प्रार्थी श्री के0के0वैष्णव को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षी0 के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षी0 ग्राम हनोतियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 733/108 रकबा 1.04 हे0 भूमि में वादनी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी नं0 1 खिलाफ जारी किया जावें उपरोक्त भूमि को बैचान खुर्द बुर्द ना करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम ~~केस~~ हनोतियां सं0 2068–71 तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष मे नजर आता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना भी प्रार्थी को है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी0 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम हनोतियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 733/108 रकबा 1.04 हे0 भूमि का बैचान नहीं किया जावें। यदि प्रतिपक्षी0 को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी तारीख पेशी 02.09.2015 को न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश करें। अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी0 आगामी पेशी तक के लिये जारी की जाती है। पत्रावली दि0 02.09.2015 को पेश हो। (sd.) (सुखराम खोखर) उपखण्ड अधिकारी,दीगोद	
2/9/15	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/ प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/ शिविर मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली पूर्ववत दि0 19/11/15 को पेश हो। (sd.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/10/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक -- 10/12/18 ---को पेश हो। [signature]
10/12/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ -- 29.1.2019 ----को पेश हो। [signature]
29.1.19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज...[illegible]...... के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्ववत पत्रावली दि0...8/2/19 को पेश हो। अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर लें। [signature]
8.2.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। जिससे प्रार्थना पत्र में अब सुनवाई किए जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। [signature]